पी0गुरु प्रसाद
आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2020–21

कार्यालय 2642999 फैक्स नं0 2250837

अर्द्ध शासकीय पत्रांकः **26444** / दस–
लाइसेंस–367 / आबकारी नीति / 2020–21
दिनांकःप्रयागराज : जनवरी,25,2020

प्रिय महोदय / महोदया,

शासन के आदेश संख्या–11 / 2020 / 155 ई–2 / तेरह–2020–01 / 2020 दिनांक 24.01.2020 (छायाप्रति संलग्नक–1) द्वारा वर्ष 2020–2021 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति की घोषणा की गयी है, जिसके सुसंगत प्राविधान निम्नानुसार हैः–

1 देशी मदिरा

1.1 फुटकर दुकानों हेतु आवेदन की प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000 / – प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाती है।

1.2 देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता :–

वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः–

(1) 42.8 प्रतिशत वी. / वी. (मसाला)
(2) 36 प्रतिशत वी. / वी. (मसाला)
(3) 25 प्रतिशत वी. / वी. (सादा व मसाला)

वर्ष 2020–21 में भी उपरोक्त श्रेणियों में मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था यथावत रहेगी।

देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त तीनों श्रेणियों के लिये वर्ष 2019–20 की भांति वर्ष 2020–21 हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. की स्वीकृति से भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्स व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाएंगे।

वर्ष 2019–20 की भांति वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश मेंकेवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

1.3 देशी मदिरा का एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / Minimum Guaranteed Quantity):–

(1) वर्ष 2020–21 हेतु वर्ष 2019–20 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा वास्तविक उपभोग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि कर, जो अधिक हो, देशी मदिरा दुकान का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2019–20 के वार्षिक उपभोग का आंकलन माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक हुये उपभोग को समानुपातिक आधार पर बढ़ाते हुये किया जायेगा। यदि दुकान मध्य सत्र में संचालित हुयी है तो वर्ष 2019–20 में दुकान की संचालन अवधि में हुये उपभोग को समानुपातिक आधार पर बढ़ाते हुये किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 48.00 करोड़ बल्क लीटर आगणित होता है।

(2) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर निर्धारित

किया जायेगा। इस प्रकार आगणित एम.जी.क्यू.दुकान का वर्ष 2020–21 के लिये वार्षिक एम.जी.क्यू.होगा।

(3) नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. नीति के प्रस्तर–2.1.9 में प्रस्तावित न्यूनतम एम. जी.क्यू.से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू.36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जनपद में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. नीति के प्रस्तर–2.1.3(i) में निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

1.4 देशी मदिरा की बेसिक लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्थानिम्नवत् होगीः–

1. अतिरिक्त उठान पर बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2. बेसिक लाइसेंस फीस की दर के निर्धारण की व्यवस्था को एम.जी.क्यू. से पृथक करते हुये देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2019–20 की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 2020–21 हेतु देशी मदिरा दुकानों की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस निर्धारित की जाएगी।

1.5 देशी मदिरा की लाइसेंस फीस(प्रतिफल फीस) :–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिफल फीस रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित की जाती है। उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् होंगीः–

क.सं.	देशी मदिरा की श्रेणी, तीव्रता	वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु.प्रति बल्क लीटर)
1.	**42.8** प्रतिशत वी./वी. के रुप में	268.69
2.	**36** प्रतिशत वी./वी. के रुप में	226.00
3.	**25** प्रतिशत वी./वी.के रुप में (सादा, मसाला)	156.94

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफलशुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

1.6 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें :–

किसी देशी मदिरा दुकान के लिये वर्ष 2020–21 हेतु उसकी बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की गणना प्रस्तर 2.1.4 एवं 2.1.5 के अनुसार की जायेगी। एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

1.7 देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना :–

वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी.रु.5 के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष 2020–21 के लिये यथावत रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी

अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के200एम.एल.की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

1.8 देशी मदिरा का मूल्य निर्धारणः–

वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता हैः–

क्र. सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)	200 एम.एल.	5.28	53.74	0.61	59.83	60.74	75.00
2.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200 एम.एल.	4.90	45.20	1.78	50.87	51.69	65.00
3.	25 प्रतिशत वी/वी (सादा, मसाला)	200 एम.एल.	4.30	31.39	4.79	36.92	37.10	50.00

1.9 देशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2020–21 में वर्तमान वर्ष में देशी मदिरा की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

वर्ष 2020–21 हेतु नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. वर्ष 2019–20 की भॉति निम्नवत् रखा जाता है :–

क्र.सं.	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. (ब.ली.में)
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	19,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500
4.	ग्रामीण	6,600

देशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.10 देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :–

वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''जिन देशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. से 2 प्रतिशत से अधिक का उपभोग पाया जायेगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू. और यथा स्थिति समानुपातिक आधार पर दुकान पर किये गये उपभोग का आंकलन किया जायेगा''।

देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020–21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगाः–

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्रभी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु उसकी दुकान पर निर्धारित एम.जी.क्यू. से न्यूनतम 02 प्रतिशत अधिक की निकासी ली जा चुकी है तथा उसके द्वारा अपनी दुकान पर दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. से न्यूनतम 02 प्रतिशत अधिक की निकासी ली जायेगी। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा।

नवीनीकरण की प्रकिया

(क) सर्व प्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई–लाटरी अथवा ई–रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारितबेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च,2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

1.11 देशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीसः–

वर्ष 2019–20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5000 केअगले गुणांक मे वर्ष 2020–21 के लिए निम्नानुसार नवीनीकरण फीसनिर्धारित की जाती हैः–

क. सं.	निकाय	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान(रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	80,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000

1.12 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनः–

(1) थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः–

(क)देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (सी.एल.–2) का व्यवस्थापनः–

वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगाा। देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019–20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगाा। गत वर्ष की भॉति अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण–पत्र की व्यवस्था **यथावत** रखी जाती है।

(ख) सी.एल.–2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः–

देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के सी.एल.–2 अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019–20 में की गयी व्यवस्था को **यथावत** रखा जाता है।

(2) देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत देशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019–20 के देशी मदिरा थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019–20 में स्वीकृत सी.एल.–2अनुज्ञापनों केअनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके सी.एल.–2 अनुज्ञापन, वर्ष 2020–21 के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किये जाने की व्यवस्था की जाती हैः–

(1) अंतिमव्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019–20 में न पायी गयी हो।
(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

1.13 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :–

वर्ष 2020–21 हेतु भी सी.एल.–2अनुज्ञापन वर्ष 2019–20 की भांतिजनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किये जायेंगे:–

(1) वर्ष 2020–21 हेतु रु.1,00,000/– प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।
(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय **नवीनीकरण फीस रु0 .90,000/–**ली जाएगी।
(3) सी.एल.–2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019–20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गतवर्ष की भांति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि निम्नवत् रखी जाती है:–

क.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2020–21 हेतु सी.एल.–2 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु सी.एल.–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति (रुपये में)
1.	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशाम्बी,	7, 70, 000	77, 000
2.	अमेठी, श्रावस्ती	11, 00, 000	1, 10, 000
3.	अन्य जनपद	22, 00, 000	2, 20, 000

(4) सी.एल.–2अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों के वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

1.14 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें:–

वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता(मसाला),36 प्रतिशत तीव्रता(मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा,मसाला) में मात्र 200 एम.एल.की धारिता वाली **पेट बोतलों, टेट्रापैक अथवा कांच** की बोतलों में की जाएगी।

1.15 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति:–

देशी मदिरा की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति की वर्ष 2019–20 में की गयीवैकल्पिक व्यवस्था को वर्ष 2020–21 में यथावतरखा जाता है।

2 विदेशी मदिरा

2.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000/–निर्धारित की जाती है।

2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जाएगा।इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5,000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

यदि विदेशी मदिरा की कोई दुकान वर्ष 2019–20 में मध्य सत्र में संचालित यापुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020–21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019–20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

2.3 विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2020–21 में विदेशी मदिरा की वर्तमान वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 2 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाताहै।

वर्ष 2020–21 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु नवसृजित दुकानों की न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये रु.5,000 के अगले गुणांक में निम्नवत्किया जाएगाः–

क्र.सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	11,30,000	13,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	3,85,000	4,65,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	1,85,000	2,25,000
4.	ग्रामीण	1,00,000	1,20,000

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.4 विदेशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :–

वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''वर्ष 2019–20 में जिन विदेशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2018–19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।''

तद्क्रम में यह प्राविधानित किया जाता है कि वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा की ऐसी दुकानें ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिनपर वर्ष 2019–20 में वर्तमान अनुज्ञापी की

संचालन अवधि में माह दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योगसे 20 प्रतिशत अधिक होगा।प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019–20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018–19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है तब वर्ष 2018–19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरणनिम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगाः–

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग), गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक होगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में **नवसृजित दुकानों** को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा। ऐसी दुकानों के नवीनीकरण केसंबंध में निम्नांकित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :–

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्यप्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष

में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।''

नवीनीकरण की प्रकिया

(क) सर्वप्रथमसंबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई–लाटरी अथवा ई–रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र आनॅलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रासेसिंग फीस की धनराशि को आनॅलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.5 विदेशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीसः–

वर्ष 2019–20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये रु.5,000 के अगले गुणांक में वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क.सं.	निकाय	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	95,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000

2.6 विदेशी मदिरा की थोक आपूर्तिः–

(1) थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः–

(क) विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.–2) का व्यवस्थापन :– वर्ष 2020–21 हेतु विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तरप्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002(यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019–20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

गत वर्ष की भॉति अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण–पत्र की व्यवस्था **यथावत** रहेगी।

(ख)एफ.एल.–2अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः– विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के एफ.एल.–2 अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019–20 में की गयी व्यवस्था को **यथावत** रखा जाता है।

(2) विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरणः–

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019–20 के विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019–20 में स्वीकृत एफ.एल.–2अनुज्ञापनों केअनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके एफ.एल.–2 अनुज्ञापन वर्ष 2020–21 के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किये जाएंगेः–

(1) अंतिमव्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019–20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

2.7 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति :– वर्ष 2020–21 हेतु भीएफ.एल.–2 अनुज्ञापन वर्ष 2019–20 की भंति जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत एवं नवीनीकृत किये जायेंगेः–

(1) वर्ष 2020–21 हेतु रु.1,00,000/– प्रति अनुज्ञापन प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.90,000/– प्रति अनुज्ञापन लिया जाएगा।

(3) एफ.एल.–2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019–20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गतवर्ष की भांति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीसएवं प्रतिभूति धनराशि निम्नवत्निर्धारित की जाती है हैः–

क्र.सं.	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1.	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	27.50	2.75
2.	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	22.00	2.20
3.	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	16.50	1.65

(4) एफ.एल.–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयीं धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.8 (क) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

सी.आई. एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम. एल.)	कस्टम बाण्ड पर हैण्डलिंग चार्जेज़	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	तालिका के अनुसार	रु.4.75+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्यका 2.50%	रु.85+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्यका 7.5%	4+5+6+7+8 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस कियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगा। वर्ष 2020–21 में परमिट फीस का निर्धारण एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगाः–

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम0एल0)	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु.0 से 600 तक	रु.1200 प्रति बल्क लीटर
रु.600 से 1500 तक	रु.1260 प्रति बल्क लीटर
रु.1500 से अधिक	रु.1500 प्रति बल्क लीटर

(ख) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर आयात को देश के अन्य राज्यों की भॉति आयात/निर्यात माना जाएगा।

2.9 एफ.एल.–9, 9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस एवं प्रतिफल फीस :–

एफ.एल.–9, 9ए के अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि न करते हुये वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस यथावत, विदेशी मदिरा के लिये रु.30.00 प्रति बोतल (750 एम.एल.) तथा बीयर के लिये रु.7.00 प्रति बोतल (650 एम.एल.) रखा जाता है।

एफ.एल.–9, 9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस 2019–20 में सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस की 50 प्रतिशत थी, जिसे वर्ष 2020–21 में 60 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

2.10 एफ.एल.–9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई.डी.पी. :–

वर्ष 2019–20 हेतु एफ.एल.–9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2020–21 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है। एफ.एल.–9ए अनुज्ञापन सैन्य बलों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को भी दिये जाने की व्यवस्था हैं, जिसे यथावत बनाये रखतेहुए इन इकाइयों को रियायती रम की आपूर्ति उपरोक्तानुसार की जाएगी।

2.11 प्रतिरक्षा सेवाओं हेतु विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.–2ए) की लाइसेंस फीस :–

प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ.एल.–2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त एफ.एल.–2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष 2019–20 हेतु रू.10,000 वार्षिक निर्धारित है, जिसे वर्ष 2020–21 हेतु यथावत रु.10,000 वार्षिक रखा जाता है।

2.12 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल. –2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें :–

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2019–20 में रु. 50,000/–प्रोसेसिंग फीस के रुप में निर्धारित थी जिसे **यथावत** रखा जाता है।
(2)नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय **नवीनीकरण फीस रु.50,000/–** ली जाएगी।
(3) वर्ष 2020–21 हेतु इनकी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति वर्ष 2019–20 की भांति **यथावत्**निम्नानुसार रखा जाता है :–

क.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	6	7
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित **विदेशी मदिरा** की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	10.00	5.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित **बीयर** की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	7.50	4.00
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में	0.75	0.50

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	**2**	**3**	**6**	**7**
		उत्पादित **वाइन** की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।		
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित **एल.ए.बी**. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.50	0.25

(4) अन्य व्यवस्थायें :–

वर्ष 2019–20 में निम्न व्यवस्था थी:–

(i) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो एक प्रार्थना–पत्र के साथ ही उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाना एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस ली जायेगी।

(ii) इसी प्रकार प्रदेश के बाहर की कोई इकाई जिसकी अन्य प्रदेशों में कई इकाइयॉ हों, यदि उत्तर प्रदेश में बाण्ड अनुज्ञापन लेकर अपनी विभिन्न इकाइयों से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. एवं उसी इकाई द्वारा प्रदेश में उत्पादित मदिरा (एफ.एल.–1ए लाइसेंस के माध्यम से) की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती है तो उससे प्रत्येक इकाई के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस लेकर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि प्रयुक्त किये जा रहे परिसर में विभिन्न इकाइयों से प्राप्त पारेषणों को पृथक–पृथक भण्डारित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को निम्न संशोधनों के साथ वर्ष 2020–21 में यथावत रखा जाता है :–

ऐसे सभी बाण्ड एवं एफ.एल.–1ए को एक ही परिसर में **मास्टर वेयरहाउस** (Master Warehouse)के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। मास्टर वेयरहाउस की पंजीकरण फीस रु. 25,000 प्रति वेयरहाउस निर्धरित की जाती है। प्रदेश के किसी भी जनपद से आपूर्ति हेतु प्राप्त इन्डेन्ट की पूर्ति मास्टर वेयरहाउस में उपलब्ध मदिरा के किसी भी स्टाक से की जा सकेगी।

2.13 विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस:–

वर्ष 2019–20 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/– प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी.एस.डी. लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु.5/– प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस निर्धारित थी जिसे 2020–21 में **यथावत** रखा जाता है।

2.14 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल.की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2019–20 हेतु 90 एम.एल.की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ–साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम.एल.धारिता की बोतलों की बिक्री स्कॉच की श्रेणी में अनुमन्य हैं। वर्ष 2020–21 में 60 एम.एल.एवं 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ–साथ सिरोंग पैक में अनुमन्य किया जाता है।

2.15 बार एवं क्लब लाइसेंस :–

(क) श्रेणीकरण एवं लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियांएवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसारनिर्धारित की जाती हैंः–

क.सं.	होटल/बार के प्रकार	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	श्रेणी–4
		गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के संपूर्ण जनपद क्षेत्र तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद , सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जनपद के नगर निगम क्षेत्र/ जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	अन्य समस्त जनपदों के जनपद मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	श्रेणी–1, श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।
1.	एफ.एल.–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण	वार्षिक लाईसेंस फीस			
	50 कमरों तक	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
	51 से 100 कमरों तक	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख
	101 या उससे अधिक कमरों	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
2.	एफ.एल.–6क (समिश्र) (पांच सितारा एवं उच्च होटल)	25 लाख	20 लाख	15 लाख	10 लाख
	एफ.एल.–6क (समिश्र) (चार सितारा होटल)	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	9 लाख

	एफ.एल.–6क (समिश्र) (तीन सितारा होटल)	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	8 लाख
3.	**एफ.एल.–7 के लिए**	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
4.	**एफ.एल.–7सी (क्लब परमिट)**	**वार्षिक लाईसेंस फीस**			
	100 सदस्यों तक	3.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	4.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की संबधित वर्ष की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न **सुविधायें** 2019–20 में अनुमन्य थीं :–

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नॉन स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिये अनुमन्य बार रूम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेंस रूम, बैंकटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अंतर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्रॉट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(ख) अतिरिक्त सुविधाएंः–

वर्ष 2020–21 में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सुविधाएंअनुमन्य होंगीः–

(1) होटल परिसर में मदिरा पीने के लिए पूर्व से अनुमन्य 5 स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रू.50,000/– प्रति स्थान की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर मदिरा परोसने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से दी जाएगी।

(2) प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से संचालित विशेष रेलगाड़ियां एवं क्रूज के पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में मदिरा परोसने का विशेष अनुज्ञापन प्रदान किया जाएगा।एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट–बार अनुज्ञापन प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020–21 में वार्षिक लाइसेंस फीस, विशेष रेलगाड़ियों हेतु रु.10 लाख, क्रूज़ हेतु रु.3 लाख एवं एयरपोर्ट बार हेतु रु.5 लाख निर्धारित की जाती है।

(3) बार अनुज्ञापन आबकारी वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद स्वीकृत होने की स्थिति में लाइसेंस फीस बचे हुए त्रैमासों की संख्या के अनुसार ली जायेगी। स्वीकृति की तिथि से संबंधित त्रैमास की लाइसेंस फीस भी देय होगी। त्रैमास की लाइसेंस फीस समानुपातिक रूप से आगणित की जायेगी।

2.16 बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–

वर्ष 2019–20 हेतु सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों से रु.एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग अनुमन्य है। वर्ष 2020–21 हेतु नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि बढ़ाकर रात्रि 2 बजे तक एवं तारांकित होटलों में रात्रि 4 बजे तक का अतिरिक्त समय रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा,अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर अनुमन्य किया जाता है।

ऑकेजनल बार अनुज्ञापन प्रातः 8 बजे से रात्रि 12 बजे (प्रशासन की अनुमति से रात्रि 1 बजे तक) के मध्य लगातार 6 घण्टे की अवधि के लिए दिया जाएगा। विशेष रेल गाड़ियों एवं क्रूज के लिए मदिरा परोसने का समय प्रदेश में यात्रा की अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

2.17 ऑकेजनल बार लाइसेंस :–

वर्ष 2020–21 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

ऑकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	वर्ष 2020–21 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place)पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। **(गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)**	रु.4,000/– प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। **(वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)**	रु.11,000/– प्रति दिन

ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.–11) अनुज्ञापन धारकों को आबकारी आयुक्त, उ. प्र. द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.–11) अनुज्ञापन ऑनलाइन ही निर्गत किये जायेंगे।

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा संचालित विशेष रेलगाड़ी ''महाराजा'' के विदेशी पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में आयोजित किये जाने वाले ''शैम्पेन ब्रेकफास्ट'' औरप्रदेश के पॉच सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के समूह के लिये आयोजित किये जाने वाले ''विशेष ब्रेकफास्ट'' के लिये स्वीकृत किये जाने वाले ऑकेजनल बार अनुज्ञापनों के अंतर्गत प्रातः 9:00 बजे से मदिरा परोसने की विशेष अनुमति गत वर्ष की भॉति प्रदान की जाएगी।

3. वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक बिवरेजेज़–एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता :–

3.1 वाइनः–

(क) वर्ष 2019–20 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.3/– प्रति ब.ली. निर्धारित है जिसे वर्ष 2020–21 में यथावत रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2019–20 में भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस रु.75/– प्रतिलीटर या एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस वर्ष 2019–20 में रु.75/– प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। उक्त दरों को वर्ष 2020–21 में रु.75/– प्रति ली. या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो रख जाता है, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु.1000/– प्रति लीटर होगी।

(ग) वर्ष 2020–21 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉपसे भी अनुमन्य होगी।

3.2 कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर :–

वर्ष 2019–20 में सेना के अधिकारियों को एफ.एल.–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है। वर्ष 2020–21 में सेना के अधिकारियों को एफ.एल.–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से एल.ए.बी. की बिक्री की व्यवस्था **यथावत** रखी जाती है।

4 बीयर :–

4.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000/–निर्धारित की जाती है।

4.2 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019–20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत वृद्धि कर, किया जाएगा।इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

यदि बीयर की कोई दुकान वर्ष 2019–20 में मध्य सत्र में संचालित या पुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020–21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019–20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

4.3 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2020–21 हेतु बीयर की वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित कुलदुकानों की संख्या के **02 प्रतिशत** तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता

है। वर्ष 2020–21 हेतु नवसृजित बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस प्रति दुकान (रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस प्रति दुकान (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	2,25,000	2,60,000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	1,20,000	1,40,000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	70,000	85,000
4	ग्रामीण	65,000	75,000

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित), की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.4 बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण :–

वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि''वर्ष 2019–20 में जिन बीयर दुकानों पर वर्ष 2018–19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।''

तद्क्रम में वर्ष 2020–21 हेतु बीयर की ऐसी दुकानें ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिनपर वर्ष 2019–20 में वर्तमान अनुज्ञापी की संचालन अवधि में माह–दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क औरअतिरिक्त प्रतिफलशुल्क का योग वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग से 20 प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019–20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018–19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है, तब वर्ष 2018–19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

बीयर दुकानों को निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगाः–

(1) अंतिमव्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि **वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है** तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क

और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग)गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग)से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग), गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक होगा।विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

इसके अतरिक्त वर्ष 2019–20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा। ऐसी दुकानों के नवीनीकरण केलिये निम्नवत् शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :–

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्य प्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना वह सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण की प्रकिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई–लाटरी/ई–रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेब साइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 25 मार्च 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4.5 बीयर की दुकानों की नवीनीकरण फीस :–

वर्ष 2020–21 के लिए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क.सं.	निकाय	वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरणफीसकी निर्धारित दर (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरणफीसकी निर्धारित दर (रुपये में) प्रति दुकान
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	70,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	60,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	40,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000	20,000

4.6 (1)बीयर के थोक अनुज्ञापन :–

(क) बीयर के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.–2बी) का व्यवस्थापन :–

वर्ष 2020–21 हेतु बीयर के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। बीयर के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019–20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(ख)एफ. एल.–2बी अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः–

आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के एफ.एल.–2बी अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019–20 में की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(2) बीयर के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत बीयर केथोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019–20 के बीयर थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019–20 में स्वीकृत एफ.एल.–2बी अनुज्ञापनों केअनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके एफ.एल.–2बी अनुज्ञापन वर्ष 2020–21 के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किये जाएंगेः–

(1) अंतिमव्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019–20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोक अनुज्ञापन के लिये सभी आवश्यक अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापनको पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त, संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ.एल.–2बीहेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतिः–

वर्ष 2020–21 हेतु भी एफ.एल.–2बी अनुज्ञापन वर्ष 2019–20 की भांति जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत/ नवीनीकृत किये जायेंगे :–

(1) वर्ष 2020–21 हेतु रु.1,00,000/– प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय **नवीनीकरण फीस रु.90,000/–** ली जाएगी।

(3) वर्ष 2020–21 हेतु एफ.एल.–2बी अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस जनपदवार श्रेणियां रखते हुये निम्नवत्निर्धारित की जाती है :–

क.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2020–21 हेतु लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1.	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहॉपुर, एवं शामली।	4.40	0.44
2.	सोनभद्र, सिद्वार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	7.70	0.77
3.	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	11.00	1.10

उक्त के अतिरिक्त आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शेष शर्तें वर्ष 2019–20 की भांति यथावत रहेंगी।

4.7 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें :–

(1)वर्ष 2019–20 में निर्धारित भारत निर्मित बीयर बीयर व लैब पर निर्यात/आयात शुल्क को वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार **यथावत** रखा जाता हैः–

क.सं.	विवरण	वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तावित
1	बीयर व एल.ए.बी. पर निर्यात शुल्क	रु.3/– प्रति बल्क लीटर
2	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क	ड्रॉट बीयर पर रु. 1.00/– प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर रु.2 प्रति बल्क लीटर

4.8 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस :–

वर्ष 2019–20 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रु.170/– प्रति लीटर निर्धारित है जिसे वर्ष 2020–21 में **यथावत** रखा जाता है।

4.9 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दरः–

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर रु.150/– प्रति ब. ली. को घटाकर रु. 60/–प्रति ब.ली. निर्धारित की जातीहै।

4.10 बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों, एफ.एल.–2डी अनुज्ञापनों पर आगामी वर्ष हेतु अनुमन्य बीयर का अग्रिम भण्डारण किया जाना :–

वर्ष 2020–21 के प्रारम्भिक माहों में बीयर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं एफ.एल.–2डी अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020–21 हेतु अनुमन्य बीयर के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15.02.2020 से अनुमन्य होगी।

5 मॉडल शॉप्स :–

.5.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.30,000/–निर्धारित की जाती है।

5.2 (1)मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण **वर्ष 2019–20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर किया जाएगा।** इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

यदि कोई मॉडल शॉप वर्ष 2019–20 में मध्य सत्र में संचालित या पुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020–21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019–20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

(2) नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2020–21 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जातीहै :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1. नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये	न्यूनतम रु.55.00 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो।	5.50 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शाप्स के लिये	न्यूनतम रूपये 19.25 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो। प्रतिबंध यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की नवसृजित मॉडल शॉप के संबंध में 05 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि, जो अधिक हो, के समतुल्य लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।	2.45 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2019–20 हेतु रु.2,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2020–21 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

5.3 मॉडल शॉप्स का सृजन :–

वर्ष 2020–21 हेतु वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित कुल मॉडल शॉप्स की संख्या के 02 प्रतिशत तक मॉडल शॉप्स के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है।

वर्ष 2019–20 में यह व्यवस्था निर्धारित है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी मॉडल शॉप्स का सृजन व व्यवस्थापन कराया जा सकता है। इस व्यवस्था को वर्ष 2020–21 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

5.4 मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''वर्ष 2019–20 में जिन मॉडल शॉप्स पर वर्ष 2018–19 में विदेशी मदिरा एवं बीयर के हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।

तद्क्रम में वर्ष 2020–21 हेतु ऐसी मॉडल शॉप ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिनपर वर्ष 2019–20 में वर्तमान अनुज्ञापी की संचालन अवधि में माह–दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क का योग वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग से 20 प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019–20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018–19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है तब वर्ष 2018–19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

मॉडल शॉप्स को **निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत**किया जाएगाः–

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि **वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है** तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12. 2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग)गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग)से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक दुकान पर

ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग), गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक होगा।विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

वर्ष 2019–20 में **नवसृजित दुकानों** को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020–21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगाः–

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्यप्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।''

नवीनीकरण की प्रकिया

(क) सर्वप्रथमसंबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आनॅलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई–लाटरी/ई–रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रासेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग

प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 25 मार्च 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5.5 मॉडल शॉप्स की नवीनीकरण फीसः–

वर्ष2020–21 के लिए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	निकाय	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	90,000	1,00,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	80,000	90,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	65,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000	50,000

.6 <u>भांग</u> :–

6.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2019–20 में निम्न मार्गदर्शक बिन्दुओं के अर्न्तगत ई–लाटरी प्रणाली से किया गया थाः–

(1)भांग दुकानों के संबंध में वर्ष 2018–19 में प्राप्त बोली की धनराशि को संबंधितदुकान की लाइसेंस फीस माना जायेगा।

(2) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद की भांग की दुकानों से प्राप्त कुल बोली की धनराशि को दुकानों पर युक्ति–युक्त ढंग से विभाजित किया जायेगा और इस प्रकार प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(3) भांग की दुकानों के एम.जी.क्यू. पर ली जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस को अब प्रतिफल शुल्क कहा जायेगा तथा इसकी दर रु.20 प्रति कि.ग्रा. निर्धारित है। किसी भांग की फुटकर दुकान की प्रतिभूति धनराशि उसकी लाइसेंस फीस और कुल प्रतिफल शुल्क के योग के 1/6 के समतुल्य होगी।

(4) ई–लाटरी हेतु अन्य शर्ते एवं प्रतिबंध विदेशी मदिरा दुकानों की ई–लाटरी के समान होंगे।

(5) किसी व्यक्ति को एक जनपद में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2020–21 हेतु भांग की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाएगा। भांग दुकानों को निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगाः–

(1) अंतिमव्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा माह दिसम्बर–2019 तक का निर्धारित भांग का कोटा उठा लिया गया है तथा वह मार्च–2020 तक निर्धारित भांग का संपूर्ण कोटा उठाना सुनिश्चित करेगा । विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उसके द्वारा भांग दुकानों के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भांग के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबंधित मादक पदार्थ की दुकान से बिक्री नहीं करेगा।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

6.2(1)भांग की दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु. 6000/–निर्धारित की जाती है।

(2) भांग की दुकानों हेतु नवीनीकरण फीस :–

वर्ष 2020–21 हेतु भांग दुकानों की नवीनीकरण फीस रु.6,000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है।

6.3 भांग की थोक आपूर्तिः–

वर्ष 2019–20 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में निम्न व्यवस्था थीः–

भांग की फुटकर दुकानों को भांग की आपूर्ति जनपद के बंधित आबकारी गोदाम से की जायेगी। इस हेतु भांग दुकान के फुटकर अनुज्ञापी द्वारा निकासी की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जायेगा तथा भांग का क्रय मूल्य थोक आपूर्तक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार जमा की गयी धनराशियों के प्रमाण सहित मांग पत्र जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसपर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गमन आदेश निर्गत किया जायेगा। वर्ष 2020–21 में उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

7 अन्य :–

7.1 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

भारत निर्मित विदेशी मदिराः– वर्ष 2020–21 में ईज़ आफ डूइंग बिज़िनेस के दृष्टिगत् ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन को एम.आर.पी.अनुमोदन से पृथक करते हुये, लेबुल के अनुमोदन सहित एक साथ ऑनलाइन कराया जाएगा। एम.आर.पी. का सही अंकन सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित आसवनी, यवासवनी के सहायक आबकारी आयुक्त का होगा। बाण्ड पर इसके लिये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, जहां पर बाण्ड स्थित है, उत्तरदायी होंगे।

7.2 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापनः–

(क) आबकारी दुकानों का ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन

आबकारी दुकानों की ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की वर्ष 2019–20 की व्यवस्था को वर्ष 2020–21 में निम्न संशोधनों के साथ रखा जाता हैः–

वर्ष 2020–21 में लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019–20 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कियदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकान नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई–लाटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

यदि ई–लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित नहीं होती है तब ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में विभक्त कर एक नयी दुकान उसी प्रास्थिति में सृजित कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन पुनः लाटरी के अगले चरण में कराया जायेगा। तृतीय चरण की लाटरी के पश्चात अवशेष कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जनपद में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी. क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण की लाटरी संपन्न करायी जायेगी।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियॉ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर धरोहत धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई–लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जाएगा। ई–लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई–लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख)दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना :–

यदि किन्हीं कारणों से कोई दुकान अव्यवस्थित चल रही हो तब वर्ष 2019–20 की भांति ही वर्ष 2020–21 हेतु दैनिक आधार पर आगणित देयताओं पर ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

इस निमित्त देशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाएगा तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप्स हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाएगा।

दैनिक व्यवस्थापन हेतु न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशन के साथ–साथ इस विज्ञप्ति को जनपद/विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के बाद वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

दो से अधिक बार दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने के लिये आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है। जिलाधिकारी को दो से अधिक बार दुकान का दैनिक व्यवस्थापन करने के लिये अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में मात्र आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ग) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में 2019–20 में लागू व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(घ) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रकियाः–

वर्ष 2019–20 में प्रतिभूति की धनराशि अथवा नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति केअंतर की धनराशि कोराष्ट्रीय बचत–पत्र, सावधि जमा रसीद और ई–पेमेंट द्वारा जमा करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय बचत–पत्र और सावधि जमा रसीद संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड हो, के रूप में जमा कराया गया है। पूर्व में नगद जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य है जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। आबकारी मुख्यालय पर जमा होने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित राष्ट्रीय बचत पत्र एवं सावधि जमा रसीद आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्लेज्ड कराये गये हैं। अनुज्ञापन की समाप्ति पर देयताओं के जमा का परीक्षण कर जमा प्रतिभूति धनराशि से कटौती अथवा वापसी, जैसी भी स्थिति हो 90 दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय बचतपत्र का विकल्प छोड़ते हुये वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति जमा करने की शेष व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(ङ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण :–

(1) वर्ष 2020–21 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड,आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्रअथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2019 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जनपद के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ–पत्र भी अपलोड करना अनिवार्यहोगा।

(4) वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2019–20 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण–पत्र वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) देशी मदिर, विदेशी मदिरा, बीयर और समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रकियाः–

(1) सर्वप्रथमआबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिर, विदेशी मदिरा, बीयर और समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय, एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगां। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारितलाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 28 फरवरी, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का

पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019–20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

7.3 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समयः–

वर्ष 2019–20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडलशॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे समय यथावत् बनाये रखा जाता है।

7.4 अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर प्रत्येक अनुज्ञापन पर उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा शून्य किये जाने के क्रम में मदिरा की थोक आपूर्ति करने वाले अनुज्ञापनों पर दिनांक 20.03.2020 तक ही मांग पत्र स्वीकार किये जायेंगे। मदिरा उत्पादक इकाइयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह–मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में उनकी इकाई में वर्ष 2019–20 का स्टाक शून्य हो जाय। उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात भी यदि अनुज्ञापनों पर मदिरा का स्टाक बचता है तब वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2020 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/– के नॉनजुडिशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 05.04.2020 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2020 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगीः–

(क) देशी मदिराः–

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक को जनपद के थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी की जायेगी।

2. वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी.एल.–2 पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2020–21 हेतु व्यवस्थित जनपद के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी की जायेगी।

3. नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जायेगा। उक्त नीलामी में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुनर्आसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व स्टाक पर लगे बारकोड व क्यू.आर.कोड को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उचाड़े गये क्यू.आर. कोड को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुनर्आसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षणकेन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के कोषागार में लेखा शीर्षक 8443 प्रतिभूति व अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि को तत्पश्चात समानुपातिक रूप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा की नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

4. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर.कोड लगे हैं तथा वर्ष 2019–20 का निर्धारित प्रतिफलशुल्क और अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क जमा नहीं हुआ है की री–बाटलिंग सहित वर्ष 2020–21 के बारकोड, क्यू.आर. कोड, लेबुलचस्पाकरते हुये वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथाअतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

(ख) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:–

1. विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडलशॉप्स जिनका वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी की थोक दुकानों तथा बाण्ड अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

3. वर्ष 2019–20 की समाप्ति के पश्चात बार क्लब अनुज्ञापनों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टाक पर वर्ष 2019–20 के प्रतिफल शुल्क की दरों के 10 प्रतिशत के समतुल्य स्टाक रोल ओवर शुल्क तथा प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर अवशेष स्टाक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2021 तक समय प्रदान किया जायेगा।

4. विदेशी मदिरा थोक (एफ.एल.–2, एफ.एल.–2बी) अनुज्ञापनों पर 31.03.2020 को उपलब्ध अवशेष स्टाक की घोषणा उपरोक्तानुसार की जायेगी। इन अनुज्ञापनों से अवशेष स्टाक के उन्हीं ब्राण्ड्स की बिक्री अनुमन्य होगी जो वर्ष 2020–21 हेतु पंजीकृत होंगे। अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी.का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक को विनष्ट कर दिया जायेगा। जिन ब्राण्डों का वर्ष 2020–21 में पंजीकरण 30.06.2020 तक नहीं कराया गया होगा, ऐसे ब्राण्डों के स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को वापस किया जा सकेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019–20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

5. बाण्ड अनुज्ञापनों तथा एफ.एल.–2डी पर उपलब्ध अवशेष स्टाक जिस पर बारकोड, क्यू.आर. कोड लगे हैं और ब्राण्ड पंजीकृत हैं, के अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2020–21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। उक्त अवशेष स्टाक का निस्तारण जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों द्वारा एवं फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक को विनष्ट कर दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे बीयर के उपलब्ध अवशेष स्टाक जिसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो, का निस्तारण न करते हुये इसे उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये नष्ट कर दिया जायेगा। जिन ब्राण्डों का वर्ष 2020–21 में पंजीकरण 30.06.2020 तक नहीं कराया गया होगा, ऐसे ब्राण्डों के स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को वापस किया जा सकेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019–20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

6. एफ.एल.–1, एफ.एल.–1ए अनुज्ञापनों पर 31.03.2020 को उपलब्ध अवशेष स्टाक की घोषणा उपरोक्तानुसार की जायेगी। इन अनुज्ञापनों से अवशेष स्टाक के उन्हीं ब्राण्ड्स की बिक्री अनुमन्य होगी जो वर्ष 2020–21 हेतु पंजीकृत होंगे। अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020–21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। उक्त अवशेष स्टाक का

निस्तारण जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों द्वारा एवं फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक का पुनर्आसवन कर दिया जायेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। अपंजीकृत ब्राण्ड से संबंधित अवशेष स्टाक को संबंधित आसवनी द्वारा पुनर्आसवन अथवा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019–20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7. एफ.एल.–2ए, एफ.एल.–9, एफ.एल.–9ए अनुज्ञापनों में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. इत्यादि के अवशेष स्टाक पर प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग का अंतर जमा कराकर इसकी बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक प्रत्येक दशा में करते हुये इसका निस्तारण किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात अविक्रीत अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये नष्ट कर दिया जायेगा।

8. उक्त के अतिरिक्त 2020–21 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः–

(1) वर्ष 2019–20 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष2020–21 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस, अभिकर की धनराशि तदनुसारआगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर,एम.आर.पी.में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी.के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 30.03. 2021 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2020–21 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस, अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर, एम.आर.पी.में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि तथा वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी.का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराया जायेगा तथा उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी.के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 30.03.2021 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2020–21 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, अभिकर, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2019–20 के लिये घोषित ई. डी.पी., ई.बी.पी. पर वर्ष 2020–21 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 30.06.2020 तक निम्नवत् किया जायेगाः–

i. नये सूत्र के अनुसार प्रतिफलफीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर एवं एम.आर.पी.की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी.के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

ii. नये सूत्र के अनुसार प्रतिफलफीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर एवं एम.आर.पी.दोनों में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस व अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि तथा वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी.का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी.के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

iii. नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी.में वृद्धि होती है,तब वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी.का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराकर वर्ष 2019–20 की एम.आर.पी.पर ही बिक्री की जायेगी।

iv. दिनांक 30.06.2020 के पश्चात उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

अन्य प्राविधान :–

(1) 180 एम.एल. की धारिता से कम धारिता की बोतलों की भराई पर स्पेशल फीस रु.1 प्रतिबोतल अथवा अधिकतम रु.48 प्रतिकेस निर्धारित की जाती है।

(2)वर्ष 2020–21 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2500/– अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारितकरते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की जाती है।

7.6 ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली :–

(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम(IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।वित्तीय वर्ष 2020–21 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ. एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने को अनिवार्य किया जाता है।

(2) इस निविदा में सेवा प्रदाता का भुगतान रिटेल स्तर पर स्कैन होकर बिक्री की गयी बोतलों की संख्या पर प्रति बोतल दर पर किया जाएगा। सेवा प्रदाता को दी जाने वाली धनराशि एम.आर.पी. में सम्मिलित कर प्रतिफल शुल्क के साथ वसूल की जाएगी। सेवा प्रदाता को दी जाने वाली प्रति बोतल की धनराशिका निर्धारण टेण्डर प्रक्रिया के

अंतिमीकरण के पश्चात हो सकेगा। प्रत्येक बोतल पर ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस के रूप में इस निमित्त आने वाले व्ययभार को मदिरा के मूल्यों में सम्मिलित किये जाने हेतु रु.0.35 का प्राविधान अनन्तिम रूप से किया जाता है।

7.7 ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस :–

(1) समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाएगा।

(2) मदिरा के ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाएगा।

(3) मदिरा के परिवहन पासों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा।

(4) आबकारी राजस्व जमा करने के मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त करते हुये राजकोष के माध्यम से भुगतान अनिवार्य किया जाता है।

(5) आबकारी आयुक्त के स्तर से एवं शासन के उच्च स्तर से निस्तारित किए जाने वाले निम्नांकित प्रकरणों के निस्तारण का स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क. सं.	प्रकरण	निस्तारण का वर्तमान स्तर	निस्तारण हेतु निर्धारित स्तर
1.	प्रदेश में स्थित आसवनियों में किये जाने वाले निम्न परिवर्तन/परिवर्धन कार्यों की अनुमति प्रदान किया जानाः– (1) शीरा संचय टैंकों के रिपेयर का कार्य। (2) पाइप लाइनों के रिपेयर का कार्य। (3) आसवनी में स्थापित शीरा संचय एवंएथनॉल संचय टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा संचय टैंकों को बी एवं सी हैवी में उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य। (4) आसवनी में पूर्व से निर्मित बिल्डिंग में रिपेयर से सम्बन्धित कार्य। (5) अन्य सामान्य मरम्मत कार्य परन्तु ऐसे कार्य सम्मिलित नहीं होंगे जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हों।	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
2.	ड्यूटी पेड एक्सपायर्ड बीयर के स्टाक का विनष्टीकरण	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
3.	14–14 दिनों के दैनिक व्यवस्थापन के पश्चात दुकानों के अग्रेतर दैनिक व्यवस्थापन की अनुमति	आबकारी आयुक्त	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
4.	1. एफ.एल.–2डी, बाण्ड, बार अनुज्ञापनों	संबंधित	संबंधित जिला आबकारी अधिकारी (3 कार्य दिवस तक

	को आयात परिमिट जारी किया जाना 2. ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की स्वीकृति	जिलाधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी न किये जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार)
5.	आसवनियों, यवासवनियों की क्षमता वृद्धि तथा आसवनियों की पेय क्षमता वृद्धि	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, की अध्यक्षता में गठित समिति	**अपरमुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग,** उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आबकारी विभाग सदस्य– सचिव के रूप में एवं वित्त विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हों तथा आबकारी आयुक्त समिति के सदस्य होंगे।
6.	एक लाख लीटर से अधिक अल्कोहल प्रतिवर्ष मांग करने वाली एफ.एल.–39, एफ.एल.–40, एफ.एल.–41 एवं एफ.एल. –49इकाइयों के मामले में निर्णय लिया जाना	**शासन**	आबकारी आयुक्त
7.	एफ.एल.–3 अनुज्ञापियों को कलरिंग, ब्लेण्डिंग एवं रिडक्शन किये जाने की अनुमति	**शासन**	आबकारी आयुक्त
8.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शाप का अपने निर्धारित क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरण	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त एवं मण्डलायुक्त (स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अनुज्ञापियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये)
9.	सी.एल.–2, एफ.एल.–2, एफ.एल.–2बी, एफ.एल.–2डी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	–	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त

7.8 मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के संबंध में:–

विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों/मॉडल शाप्स के संबंध में नियमावलियों में यह व्यवस्था है कि अनुज्ञापी को प्रत्येक त्रैमास में गतवर्ष की आलोच्य अवधि में उठायी गयी मात्रा पर सन्निहित राजस्व के बराबर राजस्व के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान करना बाध्यकारी होगा, परन्तु इसका उल्लंघन करने पर दण्ड/प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार निरीक्षण में क्यू.आर. कोड जांच के दौरान एक दुकान की मदिरा दूसरी दुकान पर पायी गयी है। कभी–कभी अनुज्ञापी जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो कभी–कभी परिवहन के दौरान मानवीय त्रुटि के कारण ऐसा होना संभव होता है। ऐसी अवस्था में परिवहन के दौरान या मानवीय त्रुटियों के कारण फुटकर/थोक अनुज्ञापन का निरस्तीकरण उचित विकल्प नहीं है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन धनराशि निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु. में)	द्वितीय बार (रु. में)	तृतीय बार (रु. में)
1	2	3	4	5
1	विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडलशाप पर प्रत्येक त्रैमास में गतवर्ष की आलोच्य अवधि में उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर सन्निहित राजस्व के बराबर राजस्व के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान करना बाध्यकारी है, इसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में	50,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
2	एक दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर पाया जाना	25,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही

8–मदिरा एवं भांग की फुटकरदुकानों के व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन :–

वर्ष 2020–21 हेतु निर्गत आबकारी नीति के प्रस्तर–2.1.10 (क) के अनुसार मदिरा एवं भॉग की फुटकर दुकानो के व्यवस्थापन हेतु जिलाधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में सक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा के निर्देश दिये गये है, के क्रम में निम्न प्रारूप (साइज 13 से0मी0 × 13से0मी0 (लगभग) के बाक्स में) निर्धारित किया जाता है।

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, ...

विज्ञप्ति संख्याः– /व्यवस्थापन/2020–21 दिनांक.....

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–11/2020/155 ई–2/तेरह–2020–01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– 26444/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2020–21दिनांकः25.01.2020द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद.....में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भाग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 03.02.2020(पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट..... ....., विभागीय वेबसाइट **www.oldupexcise.in** तथा ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(.....) (.....)
जिला आबकारी अधिकारी, जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी

09– मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में उपरोक्त सूक्ष्म विज्ञप्ति का प्रकाशन और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	26.01.2020
2	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2020–21 का डाटा भरने एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों को लाक करने की अंतिम तिथि	27.01.2020 को समय मध्यान्ह 12:00 बजे
3	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	28.01.2020 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
4	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	03.02.2020 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
5	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अन्दर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये सम्बन्धित इच्छुक अनुज्ञापी को सम्पूर्ण नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/ वार्षिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत की धनराशि 03 कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने का निर्देश दिये जाने की अतिम तिथि	05.02.2020 को अपरान्ह 5:00 बजे तक
6	नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशियां जमा करने की अन्तिम तिथि (नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त)	08.02.2020 सायं 5:00 बजे तक
7	अंतिम रुप से नवीकृत दुकानों की मार्किंग (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा)	08.02.2020 सांय 5:00 बजे से 08.02.2020 को रात्रि 12:00 बजे तक

10– **ई–लाटरी हेतु समय–सारणी:–** प्रदेश की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप के अनुज्ञापनों के वर्ष 2020–21 के ई–लाटरी से व्यवस्थापन हेतु विभिन्न चरणों की समय–सारणी :–

क्रमांक	प्रथम चरण	तिथि
1(i)	**ई–लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ**	**18.02.2020 पूर्वान्ह 11:00 बजे**
(ii)	**ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि**	**25.02.2020 सांय 5:00 बजे**
(iii)	**ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण**	**25.02.2020 को सांय 5:00 बजे से 28.02.2020 को सांय 5:00 बजे तक**
(iv)	**प्रथम चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल**	**02.03.2020** को प्रातः 10:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
(v)	**प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि**	**05.03.2020 को समय सांय 5:00 तक**

	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार ई–लाटरी के प्रथम चरण के पश्चात् अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स को दो बराबर भागों में विभक्त कर एक नयी दुकान उसी प्रास्थिति में सृजित कर इसकी प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि एवं आवश्यक साल्वेन्सी की धनराशि का विवरण तैयार कर ई–लाटरी पोर्टल पर उसको सुरक्षित किया जाना।	**06.03.2020 से 11.03.2020 तक**
(ii)	द्वितीय चरण में आवेदन प्रस्तुत करना प्रारम्भ	**12.03.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से**
(iii)	**द्वितीय चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय**	**15.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक**
(iv)	**ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण**	**15.03.2020 को सांय 5:00 बजे से 17.03.2020 को सायं 5:00 बजे तक**
(v)	**द्वितीय चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल**	**19.03.2020** को प्रातः 10:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
(vi)	**द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि**	**23.03.2020 को सांय 5:00 बजे तक**

	तृतीय चरण	
3(i)	उपरोक्तानुसार ई–लाटरी के द्वितीय चरण के पश्चात् अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि एवं आवश्यक साल्वेन्सी की धनराशि का विवरण तैयार कर ई–लाटरी पोर्टल पर उसको सुरक्षित किया जाना।	**23.03.2020 को प्रातः 12:00 बजे तक**
(ii)	तृतीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	**24.03.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से**
(iii)	**द्वितीय चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय**	**26.03.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक**
(iv)	**ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण**	**26.03.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे से 26.03.2020 को रात्रि 12:00 बजे तक**
(v)	**ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल**	**27.03.2020** को प्रातः 10:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी

		द्वारा निर्धारित स्थल पर
(vi)	**तृतीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि**	**31.03.2020 को सांय 5:00 बजे तक**

नोट :–1– यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2– उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2020–2021 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट www.oldupexcise.in पर देखा जा सकता है।

3– मदिरा एवं भॉग की फुटकर एवं थोक दुकानों का नवीनीकरण एवं ई–लाटरी विभागीय वेबसाइट www.upexciseelottery.gov.in पर सम्पन्न करायी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश /2020/155 ई–2/तेरह–2020–01/2020 दिनांक 24.01.2020 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाये। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवन्निष्ठ,

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(नाम से)
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2020–2021/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /दस–लाइसेंस–367/सुझावआबकारी नीति/2020–2021/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित :–

(1) समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों

के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें।

(2) समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु यथावश्यक सुसंगत नियमावलियों तथा विज्ञप्तियों में समय–सीमा के अन्तर्गत संशोधन सुनिश्चित करायें।

(3) संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आगामी वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये विभिन्न जनपदीय/प्रभार/जोन के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करायें।

(4) समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लें कि देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं भांग की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन फीस के आगणन नियमानुसार सही तरीके से हो जायें, ताकि किसी प्रकार की राजस्व क्षति न होने पाये।

(5) समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, बाण्ड धारक इकाइयॉ/सहायक आबकारी आयुक्त, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (एस0एस0एफ0), उ0प्र0 को संबधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(6) समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/यवासवनी को इस निर्देश के साथ कि आसवनी/यवासवनी को शासनादेश दिनांकित **24.01.2020** की प्रति उपलब्ध कराते हुये आबकारी नीति के सम्बन्धित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(7) सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स (वेबमास्टर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(8) गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।